भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 967

सोमवार, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण, 1935 (शक)

ईपीएफ अंशदान का भुगतान न होना

967. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र के स्कूल, निजी क्षेत्र की कंपनियां और विभिन्न कारखाने भविष्य निधि में नियमित रूप से अपना अंशदान जमा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऐसी चूककर्ता संस्थाओं/कंपनियों/सरकारी उपक्रमों/फैक्टरी मालिकों आदि के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क)से (ग): तमिलनाडु स्थित प्रतिष्ठानों सहित कुछ प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि देयों को जमा करने में चूक की है। पिछले तीन वर्ष में चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या का विवरण अनुबंध-I पर है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 और इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन कर्मचारियों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

1. देय राशि के निर्धारण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 7क के अधीन कार्रवाई।
2. देय राशि की वसूली हेतु अधिनियम की धारा 8 ख से 8 छ के अधीन कार्रवाई।
3. देय राशि को देरी से जमा करने पर हर्जाने के उगाही के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अधीन कार्रवाई।
4. देरी से प्रेषण करने पर ब्याज प्रभार के लिए अधिनियम की धारा 7द के अधीन कार्रवाई।
5. समुचित न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए धारा 14 के अधीन कार्रवाई।
6. निधि में जमा नहीं किए गए कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए अंशदान के भाग की गैर-अदायगी के लिए धारा 406/409 के अधीन कार्रवाई।

पिछले तीन वर्ष से चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण अनुबंध-II पर है।

*****

अनुबंध-I

श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा ईपीएफ अंशदान का भुगतान न करने संबंधी दिनांक 12.08.2013 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 967 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि देय राशि को जमा करने में चूक करने वाले प्रतिष्ठानों का राज्य-वार सार

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11 में चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	2011-2012 में चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	2012-13 में चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2853	2466	1306
2	बिहार	123	55	678
3	छत्तीसगढ़	228	91	153
4	दिल्ली	269	107	815
5	गोवा	163	66	93
6	गुजरात	829	310	969
7	हरियाणा	969	449	487
8	हिमाचल प्रदेश	550	176	229
9	झारखंड	344	175	278
10	कर्नाटक	2426	1528	1558
11	केरल	2627	2882	373
12	मध्य प्रदेश	912	637	729
13	महाराष्ट्र	1790	802	2934
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	220	94	315
15	ओडिशा	544	303	486
16	पंजाब	1041	1077	1370
17	राजस्थान	900	323	128
18	तमिलनाडु	7230	6825	1412
19	उत्तर प्रदेश	1910	922	1570
20	उत्तरांचल	52	6	189
21	पश्चिम बंगाल	588	321	1075
	कुल	**26568**	**19615**	**17147**

अनुबंध-II

श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा ईपीएफ अंशदान का भुगतान न करने संबंधी दिनांक 12.08.2013 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 967 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि देय राशि को जमा करने में चूक करने वाले प्रतिष्ठानों का राज्य-वार सार

राज्य	धारा 7 क के अधीन चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध शुरू की गई जांच			अधिनियम की धारा 14 के अधीन दायर किए गए अभियोजन मामलों की संख्या			आईपीसी की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के पास दायर किए गए मामलों की संख्या		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
आंध्र प्रदेश	2853	2466	1306	7858	8098	8713	209	221	224
बिहार	123	55	678	4224	4240	3163	27	32	31
छत्तीसगढ़	228	91	153	1155	1155	1155	3	5	5
दिल्ली	269	107	815	2071	1967	2000	52	77	75
गोवा	163	66	93	534	406	316	91	91	95
गुजरात	829	310	969	3849	3908	3967	390	391	402
हरियाणा	969	449	487	1532	1552	1535	24	6	9
हिमाचल प्रदेश	550	176	229	163	67	169	0	0	6
झारखंड	344	175	278	2366	2366	2366	8	8	8
कर्नाटक	2426	1528	1558	4972	4926	4810	989	1003	853
केरल	2627	2882	373	2765	2764	2773	1138	1179	1212
मध्य प्रदेश	912	637	729	3920	3963	3994	91	91	91
महाराष्ट्र	1790	802	2934	8367	12032	11481	441	440	450
पूर्वोत्तर क्षेत्र	220	94	315	1876	1876	1847	82	83	87
ओडिशा	544	303	486	2066	2121	2125	105	107	107
पंजाब	1041	1077	1370	1929	2344	2007	136	52	60
राजस्थान	900	323	128	466	430	428	39	39	40
तमिलनाडु	7230	6825	1412	3558	3481	2545	1419	1482	1762
उत्तर प्रदेश	1910	922	1570	407	475	681	77	80	11
उत्तरांचल	52	6	189	12	0	0	2	2	4
पश्चिम बंगाल	588	321	1075	5671	6054	6211	1291	1320	1367
कुल	**26568**	**19615**	**17147**	**59761**	**64225**	**62286**	**6614**	**6709**	**6899**

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1046

सोमवार, 12 अगस्त,2013/21 श्रावण, 1935 (शक)

ई पी एफ अधिनियम का उल्लंघन

1046. डॉ संजय सिंह:

श्री हरीश चौधरी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत स्थापित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यवाही से लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) अधिनियम की उक्त धारा के उपबंधों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ता स्थापनों के विरूद्ध आरम्भ किए गए मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

2010-11	2011-12	2012-13
26568	19615	17147

(ख): उक्त अवधि के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण:-

(i) अधिनियम की धारा 14 के अधीन दर्ज किए गए अभियोजन मामलों की संख्या

2010-11	2011-12	2012-13
59761	64225	62286

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज मामलों की संख्या:

2010-11	2011-12	2012-13
6614	6709	6899

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 क, इस अधिनियम के किसी उपबंध और इसके अधीन बनाई गई योजनाओं के अधीन किसी नियोजक से देय राशि की मात्रा के निर्धारण की व्यवस्था करती है। इस प्रकार निर्धारित मात्रा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया क अनुसार वसूली जाती है।

(घ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चूककर्ता स्थापनों के विरूद्ध देय राशि की वसूली करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. देय राशि के निर्धारण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 क के अधीन कार्रवाई
2. देय राशि की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 8 ख. से 8 छ के अधीन उपबंधो के अनुसार कार्रवाई
3. संगत न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरूद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई।
4. कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन में अंशदान का भाग की कटौती की परन्तु उसे निधि में जमा नहीं करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1129

सोमवार, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण, 1935 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों का आंकड़ा

1129. **श्री एम आनंदन:**
श्री वैजयंत पांडा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना में इसके लगभग 95 प्रतिशत सदस्यों की जन्म तिथि नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है कि देश में सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पर्ची दी जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास 01.08.2013 की स्थिति के अनुसार, कुल 8.87 करोड़ सदस्यों में से 4 करोड़ से अधिक सदस्य की जन्म तिथि का ब्यौरा है। नियोक्ताओं को सभी कर्मचारियों की जन्म तिथि के ब्यौरे अपलोड करने के लिए वेब सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को नियोक्ताओं से ये ब्यौरे अपलोड करने के लिए कहने का निदेश दिया गया है।

(ग) और (घ): ईपीएफ के सदस्यों को वार्षिक लेखा विवरण (लेखा पर्चियां) प्रदान किया जाना पहले ही विद्यमान है। ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 73(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्रत्येक वर्ष के अंत में उसके अंतिम नियोक्ता के माध्यम से लेखा विवरण भेजा जाना अपेक्षित है।

इसके अलावा, पीएफ सदस्यों को अपना पीएफ शेष जानने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं:

1) ईपीएफ खाते में अद्ययतन शेष ईपीएफ सदस्यों द्वारा अपनी पीएफ संख्या और मोबाईल संख्या ईपीएफओ के वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर 'अपना ईपीएफ शेष जानिए' सुविधा का उपयोग करके हासिल किया जा सकता है।
2) ई-पासबुक की सुविधा भी ईपीएफओ के वेबसाइट पर प्रदान की गई है। ईपीएफओ के वेबसाइट पर स्वयं को रजिस्टर करने के उपरांत, पीएफ सदस्य अपने पीएफ विवरण को देख सकते है अथवा उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।

इस समय, कर्मचारियों को ईएसआईसी पर्चियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ईएसआईसी ने एक आईपी पोर्टल विकसित किया है जिसमें बीमित व्यक्ति विविध हितलाभ को लेने के लिए अपना अंशदायी ब्यौरा और पात्रता स्थिति को लॉग-ऑन कर देख सकता है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2070

सोमवार, 19 अगस्त, 2013/28 श्रावण, 1935 (शक)

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि

2070. श्री एल. राजगोपाल:
श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री के. पी. धनपालन:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;
(घ) क्या उक्त निधियों पर ब्याज दर बढ़ाने की कोई मांग है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं;
(च) क्या सरकार का प्रस्ताव ईपीएफ को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड्स (ईटीएफ) में निवेश करने का है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ग): कर्मचारी पेंशन स्कीम(ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य पेंशनभोगियों को 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) पेंशन पर ब्याज नहीं दिया जाता है। सदस्यों को ईपीएस,1995 के उपबंधों के अनुसार पेंशनभोगी लाभ दिए जाते हैं। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.5 की दर से घोषित की गई है।

(च): जी, नहीं।

(छ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग(च) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2016

सोमवार, 19 अगस्त, 2013/28 श्रावण, 1935 (शक)

भविष्य निधि खातों की जानकारी न होना

2016. श्री जोस के. मणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेका श्रमिकों के परिश्रमिक से ठेकेदार द्वारा की गई भविष्य निधि कटौती के रूप में 25000 करोड़ रु. से अधिक राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास निष्क्रिय राशि के रूप में पड़ी है;

(ख) क्या ठेका श्रमिकों के ऐसे अनेक भविष्य निधि खाते निष्क्रिय हैं और इसके लाभार्थियों को इनकी जानकारी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की भविष्य निधि के संबंध में ठेका श्रमिकों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ई.पी.एफ.ओ. ठेका श्रमिकों को जारी प्रत्येक पहचान-पत्र पी. एफ. पंजीकरण कोड को शामिल करना अनिवार्य बनाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियम नियमित कर्मचारी और ठेका श्रमिकों के बीच अंतर नहीं करते।

अधिनियम के तहत नामांकित सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि - धन से निपटने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरुक बनाना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का निरंतर प्रयास रहा है।

हाल ही में देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों को ठेका श्रमिकों सहित श्रमिकों को लाभान्वित करने वाली पहलों और चल रहे कार्यकलापों का प्रचार करने हेतु सार्वजनिक बैठकें, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं नियोक्ता संघों और कामगार संघों के साथ शैक्षिक शिविर आयोजित करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

सदस्यों के दावों के शीघ्र निपटान और उनके भविष्य निधि धन को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार उनके वैयक्तिक बैंक खातों में अंतरित करने के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण किए गए हैं:-

क) दावों के निपटान संबंधी अनुमोदन की प्रक्रिया को दो स्तर तक कम करके कारगर बनाया गया है।

ख) सदस्यों के बैंक खातों में निधि के सीधे अंतरण में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सुविधा शुरु की गई है।

ग) सदस्य यदि दावा प्रस्तुत करते समय अपना मोबाईल नम्बर प्रदान करता है तो, उपर्युक्त दो चरणों में उसके दावे की स्थिति के बारे में एसएमएस के माध्यम से उसे सूचित किया जाता है।

ईपीएफओ की वेबसाईट पर ई-पासबुक की सुविधा भी प्रदान की गई है। ईपीएफओ की वेबसाईट पर स्वयं को पंजीकृत करने के उपरांत, भविष्य निधि सदस्य अपना भविष्य निधि विवरण देख सकता है अथवा उसका प्रिंटआउट ले सकता है।

(ङ): जी, नहीं।

(च): उपर प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1925

सोमवार, 19 अगस्त,2013/28 श्रावण, 1935 (शक)

भविष्य निधि का ऑनलाइन अंतरण

1925. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ई पी एफ ओ) भविष्य निधि का अंतरण आनलाइन सुविधा के माध्यम से करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आनलाइन अंतरण कार्य को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) क्या देश भर के सभी ई पी एफ ओ कार्यालयों में भविष्य निधि का ऐसा अंतरण शुरू किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी हां।

(ख): दावों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में आरम्भ किया जाएगा। इंटरनेट तक पहुंच न रखने वाले लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कागजों पर दावा दायर करने का विकल्प कायम रखा जाएगा।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में इच्छुक नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत किए जाने के बाद प्रणाली प्रचालनीय की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक संप्रेषण पहले ही सभी नियोक्ताओं को भेजा जा चुका है तथा डिजिटल हस्ताक्षर के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है।

(घ): जी हां।

(ङ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

***

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1864

सोमवार, 19 अगस्त, 2013/28 श्रावण, 1935 (शक)

ई.पी.एफ. खातों को अद्यतन करना

1864. श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाखों कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) खातों को अद्यतन नहीं किया गया है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं इन खातों को अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत कवर सदस्यों के खातों एवं स्थापनाओं की संख्या कितनी है; और
(घ) भविष्य निधि खातों को मासिक और नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों के पूर्व वर्ष के खातों को आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक अद्यतन कर दिया गया है।

सदस्यों के खातों को अद्यतन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सदस्यों के खातों को अद्यतन करने की दिन-प्रतिदिन की प्रगति को मानीटर करने के लिए वेब आधारित तंत्र विकसित किए गए हैं ताकि लंबित कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

(ii) खातों को अद्यतन करने में समय की बचत के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे 2011-12 तक की अवधि की विवरणियां इलैक्ट्रोनिक रुप से दर्ज कर सकें।

(ग): 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कुल 7.43 लाख स्थापनाओं और 12.96 करोड़ सदस्यों के खातों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के अंतर्गत कवर किया गया है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि योजना,1952 का पैरा 73 सदस्यों को खातों की वार्षिक विवरणी उपलब्ध कराने पर बल देता है। सदस्यों के खातों को अद्यतन करने की प्रगति की मानीटिरिंग क्षेत्र कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय द्वारा निरंतर की जाती है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1879

सोमवार, 19 अगस्त, 2013/28 श्रावण, 1935 (शक)

ई पी एफ योजना का विस्तार

1879. श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना को दस कर्मचारियों से अधिक वाली सभी कंपनियों पर लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के अंतर्गत कर्मचारियों की सीमा को 20 से 10 कर्मचारियों तक करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1900

सोमवार, 19 अगस्त, 2013/28 श्रावण, 1935 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना संबंधी सिफारिशें

1900. श्री राजू शेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस.), 1995 से जुड़े विभिन्न मुद्दों की परीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नवत दो विकल्पों में से एक विकल्प की सिफारिश की है:

(i) भविष्य निधि-सह-पेंशन वार्षिकी योजना की शुरूआत जिसमें पेंशन को सदस्यों की जमा निधि से जोड़ा जाता है, अथवा

(ii) मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना, 95 में संशोधन, जैसे कि:

- मजदूरी सीमा को 6500/- रूपये से बढ़ाकर 10,000/- रूपये करना;
- 3% की वार्षिक राहत का प्रावधान;
- पेंशनधारकों की सभी श्रेणियों के लिए 1000/- रूपये की न्यूनतम पेंशन; और
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में जहां तक संभव हो सके लागत में कमी लाने के लिए निम्नलिखित संशोधन:

  - पेंशन योग्य वेतन की गणना पिछले 3 वर्षों की सेवा की औसत के रूप में की जाए।
  - निकासी के विकल्प को हटा दिया जाए।
  - 2 वर्ष के बोनस को समाप्त किया जाए।
  - सेवा निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष किया जाए।
  - शीघ्र पेंशन की आयु को बढ़ाकर 55 वर्ष किया जाए।
  - नामिती पेंशन मंजूर न की जाए।

(ख) से (घ): विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को विचारार्थ भेजी गई थी। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, केन्द्रीय भविष्य निधि ने 15.09.2010 को आयोजित अपनी 190वीं बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि इस रिपोर्ट पर सर्वप्रथम कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की उप-समिति, पेंशन क्रियान्वयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर पेंशन क्रियान्वयन समिति द्वारा विचार किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की गई थी कि अंतरिम उपाय के रूप में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000/- रूपये प्रति माह किया जाए। पेंशन क्रियान्वयन समिति की सिफारिश पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा विचार किया गया। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000/- रूपये प्रति माह करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

...

तारांकित प्रश्न संख्या 235*

सोमवार, 26 अगस्त, 2013/4 भाद्रपद, 1935(शक)

नई पेंशन योजना

***235. श्री प्रबोध पांडा:**

श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना को बंद करने और नई पेंशन योजना को इसके लाभ अंतरित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री शीश राम ओला)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

नई पेंशन योजना से संबंधित श्री प्रबोध पांडा और श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा 26.08.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2736

सोमवार, 26 अगस्त,2013/4 भाद्रपद, 1935 (शक)

ईपीएफ बकायों का गैर-निपटान

2736. श्री अवतार सिंह भडाना:

श्री विलास मुत्तेमवार:

श्री जे एम आरुन रशीद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मैसर्स एरिशन फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि., शाह इंडस्ट्रीयल इस्टेट, वीरा देसाई रोड़, मुम्बई सहित विभिन्न निजी कंपनियोंसे पूर्व कर्मचारियों की भविष्य निधि, उपदान और अन्य बकायों को रोक कर रखने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक भविष्य निधि अधिनियम, उपदान अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए ऐसी कंपनियों विशेषकर उपर्युक्त कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त कानून के अनुपालन तथा पूर्व कर्मचारियों के बकायों के निपटान के लिए ऐसी कंपनी को कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): विभिन्न निजी कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि एवं अन्य देयों को रोके जाने संबंधी शिकायतें बार-बार प्राप्त होती हैं। मैसर्स एरिशन फार्मास्यूटिकल प्रा. लि. के कर्मचारियों से क्षेत्रीय श्रमायुक्त मुम्बई को उपदान राशि का भुगतान न किए जाने संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग): विभिन्न श्रम कानूनों में किए गए उल्लेख के अनुसार उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जो इन कानूनों का उल्लंघन करती हैं। जहां तक उपर्युक्त कंपनी का प्रश्न है, उस प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था और उपदान का भुगतान न करने का मामला पाया गया और नियोक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नियोक्ता ने अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है और 19 कर्मचारियों को 77,66,349/- रुपये के उपदान का भुगतान किया गया है।

(घ) और (ड.): जब भी श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में कंपनियों की शिकायतें प्राप्त होती हैं संबंधित विधानों के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन एजेंसी द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2699

सोमवार, 26 अगस्त, 2013/4 भाद्रपद, 1935 (शक)

ईपीएफओ के अन्तर्गत डिजीटल हस्ताक्षर

2699. श्री अब्दुल रहमान:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 1000 से अधिक कामगारों वाले नियोक्ताओं को ईपीएफओ के पास उनके डिजीटल हस्ताक्षर भेजना जरूरी कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश में ऐसे नियोक्ताओं की संख्या कितनी है; और
(घ) उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंतरण दावों के संबंध में ऑनलाइन दावा निपटान की सुविधा कार्यान्वित कर रहा है। यह सुविधा वैकल्पिक है और दावे ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप के माध्यम से दाखिल किए जा सकते हैं। यह प्रणाली इच्छुक नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के डिजीटल हस्ताक्षर ईपीएफओ में पंजीकृत होने के उपरांत चालू की जाएगी। इस आशय की आवश्यक सूचना पहले ही सभी नियोक्ताओं को भेज दी गई है तथा डिजीटल हस्ताक्षर के पंजीकरण के प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

(ग): नियोक्ताओं द्वारा दाखिल इलैक्ट्रॉनिक चालान विवरणी (ईसीआर) यह दर्शाती है कि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या महीना दर महीना बदलती रहती है। तथापि, फरवरी, 2013 से जून, 2013 के बीच की ईसीआर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत नमांकित कुल 7,43,045 प्रतिष्ठानों में से, 5232 प्रतिष्ठानों ने 1000 से अधिक अंशदायी सदस्यों की सूचना दी।

(घ): ईपीएफओ में डिजीटल हस्ताक्षर का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। तथापि, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को नियोक्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के डिजीटल हस्ताक्षर हासिल करने के अधिकाधिक प्रयास करने के अनुदेश दिए गए हैं।

*****